



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228688
CG-DL-E-03082021-228688

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, गुरुवार, 25 फरवरी, 2021/6 फाल्गुन, 1942 (शक) [खंड LVII
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942 (SAKA) [VOL. LVII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021/6 फाल्गुन, 1942 (शक)

दि कंपनी (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2019; (2) दि ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) ऐक्ट, 2019; (3) दि चिट फंड्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (4) दि प्रोहिबीशन आफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स (प्रोडक्शन, मेनुफेक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट) ऐक्ट, 2019 (5) दि रिसाइकलिंग आफ शिप ऐक्ट, 2019; (6) दि इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (7) दि मिनीरल लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (8) दि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास ऐक्ट, 2020; (9) दि फारमर्स (इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट आन प्राइस एसुरेन्स एंड फार्म सर्विसेस ऐक्ट, 2020; (10) दि फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स (प्रोमोशन एंड फौसीलिटेशन) ऐक्ट, 2020; (11) दि एसेन्सियल कोमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (12) दि बाईलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंसियल कान्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 2020; और (13) दि फारेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2020 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, February 25, 2021/Phalguna 6, 1942 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Company (Amendment) Act, 2019; (2) The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019; (3) The Chit Funds (Amendment) Act, 2019; (4) The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019; (5) The Recycling of Ship Act, 2019; (6) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020; (7) The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020; (8) The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020; (9) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance And Farm Services Act, 2020; (10) The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion And Facilitation) Act, 2020; (11) The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020; (12) The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 and (13) The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 22)	3
The Company (Amendment) Act, 2019	
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 40)	15
The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	
चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 41)	23
The Chit Funds (Amendment) Act, 2019	
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण भंडारण और विज्ञापन प्रतिषेध अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 42)	27
The Prohibition of Electronic, Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019	
पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 49)	33
The Recycling of Ships Act, 2019	
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1)	49
The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020	
खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 2)	55
The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020	
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3)	61
The Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020	
कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 20)	69
The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020	
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 21)	77
The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020	
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 22)	85
The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020	
अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 30)	87
The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020	
विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 33)	97
The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020	

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 21)

[24 सितम्बर, 2020]

ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, तो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अन्तरराज्य और अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलैक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म” से कृषक उपज का, किसी इलैक्ट्रॉनिक युक्तियों और इंटरनेट उपयोजनों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के संचालन हेतु प्रत्यक्ष और आनलाइन क्रय और विक्रय के सुकर बनाने के लिए स्थापित ऐसा प्लेटफार्म अभिप्रेत है, जहां प्रत्येक ऐसे संव्यवहार का परिणाम कृषक उपज का वास्तविक परिदान होता है;

(ख) “कृषक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या भाड़े के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषक उपज के उत्पादन में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठन भी है;

(ग) “कृषक उपज” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) गेहूं, चावल या अन्य मोटा अनाज, दालें, खाद्य तिलहन, तेल सागभाजी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना और कुक्कुट, सूअर, बकरी, मत्स्य और डेरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जो अपनी नैसर्गिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग के लिए आशयित है;

(ii) खली और अन्य सांद्रों सहित पशु चारा; और

(iii) कच्ची कपास, चाहे उसकी ओटाई की गई है या ओटाई नहीं की गई है, बिनौला और कच्चा पटसन;

(घ) “कृषक उत्पादक संगठन” से, कृषकों का कोई ऐसा संगम या समूह अभिप्रेत है, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जो —

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है;

(ङ) “अंतरराज्यिक व्यापार” से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जिसमें एक राज्य का व्यापारी, अन्य राज्य के कृषक या किसी व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करता है, और ऐसी कृषक उपज का परिवहन उस राज्य से जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है, भिन्न राज्य में किया जाता है;

(च) “अंतःराज्यिक व्यापार” से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है, जिसमें एक राज्य का व्यापारी, उसी राज्य के किसी कृषक या व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करता है, जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है;

(छ) “अधिसूचना” के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार “अधिसूचित” पद का वही अर्थ लगाया जाएगा;

(ज) “व्यक्ति” के अंतर्गत निम्नलिखित है—

(क) कोई व्यक्ति;

(ख) कोई भागीदारी फर्म;

(ग) कोई कंपनी;

(घ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(ङ) कोई सहकारी सोसाइटी;

(च) कोई सोसाइटी; या

(छ) ऐसा कोई संगम या व्यक्ति निकाय, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन सम्यक् रूप से एक समूह के रूप में निगमित या मान्यताप्राप्त है;

(झ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) “अनुसूचित कृषक उपज” के विनियमन के लिए किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कृषि उपज अभिप्रेत है;

(ट) “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(ठ) “राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम” से भारत में प्रवृत्त कोई ऐसा राज्य विधान या संघ राज्यक्षेत्र का विधान, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो उस राज्य में की कृषि उपज को विनियमित करता है;

(ड) “व्यापार क्षेत्र” से—

(क) फार्म गेट;

(ख) कारखाना परिसर;

(ग) भांडागार;

(घ) खत्ती;

(ङ) शीतागार; या

(च) कोई अन्य ढांचा या स्थान,

सहित कोई ऐसा क्षेत्र या अवस्थान, उत्पादन, संग्रहण और संकलन का ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां से भारत के राज्यक्षेत्र में कृषक उपज का व्यापार किया जा सकेगा किन्तु इसके अन्तर्गत—

(i) भारत में प्रवृत्त प्रत्येक राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों द्वारा व्यवस्थित और संचालित मुख्य बाजार यार्डों और बाजार उप-यार्डों की भौतिक सीमाएं; और

(ii) अनुज्ञप्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित प्राइवेट बाजार यार्डों, प्राइवेट बाजार उप यार्डों प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और प्राइवेट कृषक-उपभाक्ता बाजाय यार्डों या किन्ही भांडागारों, खत्तियों, शीतागारों, भारत में प्रवृत्त प्रत्येक राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अधीन बाजार या समझे गए बाजारों के रूप में अधिसूचित अन्य संरचनाओं से मिलकर बना कोई परिसर, अहातों और संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

(ढ) “व्यापारी” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अन्तरराज्यिक व्यापार या अंतःराज्यिक व्यापार या उन दोनों के संयोजन द्वारा थोक व्यापार, खुदरा, अंत्य उपयोग, मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्यात, उपभोग के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए स्वयं या एक या अन्य व्यक्तियों की ओर से कृषक उपज का क्रय करता है।

अध्याय 2

कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कृषक या व्यापारी या इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म को, किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अन्तरराज्य या अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता होगी।

4. (1) कोई व्यापारी, किसी व्यापार क्षेत्र में किसी कृषक या किसी अन्य व्यापारी के साथ अनुसूचित कृषक का अन्तरराज्यिक व्यापार या अंतःराज्यिक व्यापार कर सकेगा:

परंतु कोई व्यापारी, कृषक उत्पादक संगठनों या कृषि सहकारी सोसाइटी के सिवाय किसी अनुसूचित कृषक उपज का तब तक व्यापार नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यापारी को आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन स्थायी

किसी व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता।

अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य।

खाता संख्यांक आबंटित न किया गया हो या उसके पास कोई ऐसा अन्य दस्तावेज, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, न हो।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है किसी व्यापार क्षेत्र में किसी व्यापारी के इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रणाली, व्यापार संव्यवहार की रीतियां और अनुसूचित कृषक उपज का संदाय करने की पद्धति विहित कर सकेगी।

(3) ऐसे प्रत्येक व्यापारी, जो कृषकों के साथ संव्यवहार करता है, व्यापार की गई अनुसूचित कृषक उपज के लिए संदाय उसी दिन या अधिकतम तीन कार्यदिवसों के भीतर करेगा यदि इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा अपेक्षा की जाए कि कृषक को शोध्य रकम उल्लेख करके परिदान की रसीद उसी दिन दी जाएगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, क्रेताओं से संदाय रसीद के साथ जुड़े हुए कृषक उपज संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा संदाय की भिन्न-भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

इलैक्ट्रॉनिक
व्यापारिक और
संव्यवहार
प्लेटफार्म।

5. (1) आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आबंटित स्थायी खाता संख्यांक या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, रखने वाला कोई व्यक्ति (किसी व्यक्ति से भिन्न) कोई कृषक उत्पादक संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी, किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के अन्तरराज्यिक या अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए कोई इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म स्थापित कर सकेगा और उसका प्रचालन कर सकेगा:

1961 का 43

परन्तु इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म स्थापित और प्रचालित करने वाला व्यक्ति, व्यापार की रीति, फीस, अन्य प्लेटफार्मों के साथ अन्तर व्यवहार्य सहित तकनीकी पैरामीटर, तर्कसंगत व्यवस्थाएं, गुणवत्ता निर्धारण, यथासमय संदाय, प्लेटफार्म के प्रचालन के स्थान की स्थानीय भाषा में मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रसारण जैसी उचित व्यापार पद्धतियों और ऐसे अन्य विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा और उनका क्रियान्वयन करेगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह, नियमों द्वारा, किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के उचित अन्तरराज्य और अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक प्लेटफार्मों के लिए—

(क) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, मानदंड, रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी; और

(ख) आचार संहिता, तकनीकी पैरामीटर जिसके अंतर्गत अन्य प्लेटफार्म के साथ अन्तर व्यवहार्य और अनुसूचित कृषक उपज की संभार तंत्र व्यवस्थाएं और उनके गुणवत्ता निर्धारण व्यापार की रीति भी है और संदाय की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

व्यापार क्षेत्र में
राज्य कृषक उपज
बाजार समिति
अधिनियम, आदि
के अधीन बाजार
फीस।

6. किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म से किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।

कीमत सूचना
और बाजार
आसूचना प्रणाली।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय सरकार संगठन के माध्यम से, कृषक उत्पाद के लिए कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली और उससे संबंधित सूचना के प्रसारण हेतु एक रूपरेखा विकसित कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे संव्यवहारों के संबंध में जो विहित किए जाएं, किसी व्यक्ति से, सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी होने की और उसके प्रचालन की अपेक्षा कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “केन्द्रीय सरकार संगठन” पद के अन्तर्गत कोई अधीनस्थ या सहबद्ध कार्यालय, सरकार के स्वामित्वाधीन या संबंधित कंपनी या सोसाइटी भी है।

अध्याय 3

विवाद समाधान

8. (1) धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी के बीच किसी संव्यवहार से उद्भूत किसी विवाद की दशा में, पक्षकार, आवेदन फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट से, सुलह के माध्यम से पारस्परिक प्रतिग्राह्य समाधान कर सकेंगे जो ऐसे विवाद को, विवाद के आबद्धकर परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा।

कृषकों के लिए
विवाद समाधान
तंत्र।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रत्येक सुलहबोर्ड, एक अध्यक्ष और कम से कम दो और चार से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें उपखंड मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

(3) अध्यक्ष, उपखंड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन सेवारत कोई अधिकारी होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उस पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई पक्षकार, सात दिन के भीतर ऐसी सिफारिश करने में असफल रहीगा तो उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे।

(4) जहां, सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में कोई समाधान हो जाता है वहां तदनुसार समाधान ज्ञापन बनाया जाएगा और वह ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन संव्यवहार के पक्षकार, इस धारा के अधीन उपवर्णित रीति में तीस दिन के भीतर विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो वे संबद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर सकेंगे जो ऐसे विवाद के समाधान के लिए "उपखंड प्राधिकारी" होगा।

(6) उपखंड प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सरकारी अभिकरण से निर्देश के आधार पर धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा और उपधारा (7) के अधीन कार्रवाई करेगा।

(7) उपखंड प्राधिकारी, इस धारा के अधीन विवाद का उल्लंघन का, उसके फाइल किए जाने की तारीख से और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तीन दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में विनिश्चय करेगा —

(क) विवादाधीन रकम की वसूली के लिए आदेश पारित कर सकेगा; या

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) में यथा नियत शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापार और वाणिज्य व्यापारिक कार्य को करने से विवादग्रस्त व्यापारी को अवरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकेगा।

(8) उपखंड प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी (कलक्टर या कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर कलक्टर) के समक्ष अपील कर सकेगा जो ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

(9) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा और डिक्रीत रकम की भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली की जाएगी।

(10) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

इलैक्ट्रॉनिक
व्यापारिक और
संव्यवहार
प्लेटफार्म में
प्रचालन के
अधिकार का
निलम्बन या
रद्दकरण।

9. (1) कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार या राज्य सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सरकारी अधिकरण के निर्देश के आधार पर, प्रक्रियाओं, मानदण्डों, रजिस्ट्रीकरण की रीति और आचार संहिता के किसी अंग का या धारा 5 के अधीन स्थापित इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म द्वारा उचित व्यापार पद्धतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के किसी अंग का या धारा 7 के उपबंधों के उल्लंघन का संज्ञान ले सकेगा और प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, वह —

(क) कृषकों और व्यापारियों को संदेय रकम की वसूली का आदेश पारित कर सकेगा;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) में यथा नियत शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के रूप में प्रचालन के अधिकार को ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलम्बित कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा:

परंतु रकम की वसूली, शास्ति के अधिरोपण या प्रचालन के अधिकार के निलम्बन या रद्दकरण का कोई आदेश, ऐसे इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक संव्यवहार प्लेटफार्म के प्रचालन को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री का बल होगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा तथा डिक्रित रकम की भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी।

प्रवर्तन के
अधिकार के
रद्दकरण के
विरुद्ध अपील।

10. (1) धारा 9 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अपील कर सकेगा:

परन्तु कोई अपील साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु नब्बे दिन की कुल अवधि के अपश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

(3) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) इस धारा के अधीन फाइल की गई अपील की सुनवाई और उसका निपटान, उसके फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परन्तु किसी अपील के निपटान से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

अध्याय 4

शास्तियां

अधिनियम और
नियमों के
उल्लंघन के लिए
शास्ति।

11. (1) जो कोई धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी शास्ति के संदाय का, जो पच्चीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु उसे पांच लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए से अनधिक की और शास्ति का दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी है, उसका नियंत्रण या प्रचालन करता है, धारा 5 और धारा 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति के सदस्य का, जो पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी किन्तु उसे दस लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए से अनधिक की और शास्ति का दायी होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

12. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अनुदेश, निदेश, आदेश दे सकेगी या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह, केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी, किसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी, किसी इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जो किसी इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन करता है या किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग के लिए आवश्यक समझे।

केन्द्रीय सरकार की अनुदेश, निदेश, आदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति।

13. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात में संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

14. इस अधिनियम के उपबंध, किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

15. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

1956 का 42

16. इस अधिनियम की कोई बात, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के और उसके अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कारपोरेशन और उसके अधीन किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी।

कतिपय संव्यवहारों को अधिनियम का लागू न होना।

17. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापारी के लिए इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और व्यापार संव्यवहार की रीतियां;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन संदाय की प्रक्रिया;

(ग) धारा 8 की उपधारा (10) के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन फाइल करने और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया;

(घ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन संव्यवहारों की बाबत सूचना;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस;

(च) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है।

18. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए

नियमों का रखा जाना।

सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

20. (1) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है।

2020 का अध्यादेश सं० 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।